उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-153/2021/2318 /30-3-20-64एम/2012
लखनऊ दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

संशोधन/शुद्धि पत्र

जनपद रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना हेतु सिविल कांस्ट्रक्शन कार्य के लिये चतुर्थ किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा के चालू खाता संख्या-98270200000001 में दिनांक 30-03-2021 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से हस्तांतरित की गयी धनराशि रू0 358.20 लाख (तीन करोड़ अट्ठावन लाख बीस हजार मात्र) संबंधित कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 पूर्ववर्ती नाम-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 को भुगतान किये जाने की अनुमति शासनादेश संख्या-145/2021/1377/30-3-21-64एम/2012 दिनांक 17.08.2021 निर्गत किया गया है।

2- उपरिसंदर्भित शासनादेश के प्रस्तर-3 में "होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत मद के लेखाशीर्षक-4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा" अंकित हो गया है।

3- चूंकि उपरोक्त लेखाशीर्ष राज्यांश के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि से संबंधित है, न कि केन्द्रांश से प्राप्त धनराशि से संबंधित है।

अत: शासनादेश दिनांक 17.08.2021 में अंकित लेखाशीर्ष को संशोधित करते हुए जनपद रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना हेतु सिविल कांस्ट्रक्शन कार्य के लिये चतुर्थ किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा के चालू खाता संख्या-98270200000001 में दिनांक 30-03-2021 को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से हस्तांतरित की गयी धनराशि रू0 358.20 लाख (तीन करोड़ अट्ठावन लाख बीस हजार मात्र) संबंधित कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 पूर्ववर्ती नाम-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 को भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 17.08.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबंध यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,
ह०/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-153/2021/ 2318 (1)/30-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-यूपी स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, टीसी/v, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ (पूर्ववर्ती उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।